सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध / फैक्स

संख्या–1078के / छः–सानिप्र–14 / 15(33)2014

प्रेषक,

एस0के0रघुवंशी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा / अलीगढ / इलाहाबाद / अम्बेडकर नगर / अमेठी / आजमगढ़ / बागपत / बहराइच / बलरामपुर / बॉदा / बाराबंकी / बरेली / बस्ती / बिजनौर / बुलन्दशहर / चन्दौल / देवरिया / इटावा / फैजाबाद / फर्रूखाबांद / गौतमबुनगर / गाजियाबाद / गाजीपुर / गोण्डा / गोरखपुर / हमीरपुर / हापुड / हरदोई / हाथरस / जालौन / जौनपुर / झॉसी / कन्नौज / कानपुर देहात / कानुपर नगर / कुशीनगर / ललितपुर / लखनऊ / महराजगंज / मैनुपरी / मथुरा / मऊ / मेरठ / मिरजापुर / मुरादाबाद मुजफ्फरनगर / पीलीभीत / प्रतापगढ / रायबरेली / सहारनपुर / सम्भल / संतकबीरनगर / शामली / सिद्धार्थनगर / सीतापुर / सुल्तानपुर / उन्नाव तथा वाराणसी ।

साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ,गृह विभाग लखनऊः दिनांक 04 जुलाई 2014

विषयः–उत्तराखण्ड की दैवीय / प्राकृतिक आपदा में लापता व्यक्तियों के मृत प्रमाण–पत्र / आर्थिक सहायता वितरण के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि वर्ष 2013 की उत्तराखण्ड की दैवीय / प्राकृतिक आपदा में प्रदेश के मृत / स्थायी रूप से लापता 1150 व्यक्तियों में से 948 के मृत प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड से प्राप्त हुये है, तथा 202 व्यक्तियों के मृत प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड से प्राप्त होना अवशेष है।

2. शासनादेश दिनांक–02 जून 2014 द्वारा आपके जनपद से सम्बन्धित उत्तराखण्ड से प्राप्त मृत प्रमाण–पत्र वितरण हेतु आपको उपलब्ध कराये गये है। उल्लेखनीय है कि दिनांक–16 / 17 जून, 2013 को उत्तराखण्ड़ केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुण्ड, सोनप्रयाग, गोविन्दघाट एवं उत्तराखण्ड के अन्य स्थानों में भागीरथी, मन्दाकिनी, अलकनन्दा, गोरी एवं काली एवं सहायक नदियों द्वारा लागयी गयी भीषण जल प्रलय तथा महाविनाश में मृत एवं स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के आश्रितो / कानूनी उत्तराधिकारियों (Next of Kin) को राज्य सरकार द्वारा रूपये–2,00,000.00 (दो लाख रूपये) की अनुग्रह धनराशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. राज्य सरकार द्वारा मृत एवं स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के आश्रितो / कानूनी उत्तराधिकारियों को दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि रूपये–2.00 लाख, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से अनुमन्य धनराशि रू 2.00 लाख एवं भारत सरकार द्वारा एस0डी0आर0एफ0 मद से अनुमन्य धनराशि 1.50 लाख के अतिरिक्त होगी।

4.. उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत आपदा में मृत एवं स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के चिन्हीकरण/मृत प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु भारत के उपमहारजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) के परिपत्र संख्या–1/2(Uttrakhand/2011-VS-CRS दिनांक–16.08.2013 की प्रक्रिया निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने में हुये विलम्ब के दृष्टिगत उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश मृत/स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के वारिसानों/कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलने वाली अनुग्रह की धनराशि उनके खाते में शासन स्तर से सीधे ही हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

5. वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उन मृत/स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के वारिसानों/कानूनी उत्तराधिकारियों की सूची (भारत के उपमहारजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) के परिपत्र दिनांक–16.08.2013 के अनुसार) निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिनके मृत प्रमाण पत्र वितरित कर दिये गये हैः–

Sl.	Name of Deceased Person with Father/ Husband Name	Next of Kin	Bank Name	A/c Number	IFSC CODE
1	2	3	4	5	6
1					
2					

यदि किसी मृत/स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के एक से अधिक वारिसानों/कानूनी उत्तराधिकारियों हों तो सबके विवरण उपलब्ध कराये जाये, अपेक्षित आख्या Arial Fond में हार्ड एवं साफ्ट कापी सहित शासन को दिनांक–10.07.2014 तक श्री ए0के0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी/नोड़ल अधिकारी के ईमेल osdsnp @gmail.com तथा osdsnp@yahoo.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

(एस0के0रघुवंशी)

सचिव